O/o CE (EITC)
Receipt No. 7056
Date 25 JAN 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE.web
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत

छत्तीसगढ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढारकर, अति० महाप्रबंधक (मा.सं.), छ०स्टे०पॉ०हो०कं०लिमि०, रायपुर
दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 18/2016 दिनांक 16.12.2016

श्री हरिनारायण धिरही
अनुभाग अधिकारी
कार्या०– कार्यपालक निदेशक (वित्त)
छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या, रायपुर

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही.आर.मौर्या
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ०रा०वि०हो०कं०मर्या०,डंगनिया–रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 18.01.2017 को पारित)

अपीलार्थी श्री हरिनारायण धिरही की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 18/2016 दिनांक 16.12.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री हरिनारायण धिरही का पक्ष कथन इस प्रकार है कि उनके द्वारा आवेदन दिनांक 04.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी से 04 बिन्दुओं में जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है:–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में प्रचलित आदेश क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/1376 रायपुर दिनांक 31.07.2009 के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का नाम एवं पदस्थ कार्यालय, – जिसका जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापन नही होने के कारण निहित शर्तों अर्थात् यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यधीन है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में प्रचलित आदेश क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/1376 रायपुर दिनांक 31.07.2009 के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति अनंतिम (Provisional) पदोन्नत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का नाम एवं पदस्थ कार्यालय, जिसका जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापन करने के पश्चात् स्थाई किया गया।
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में दिनांक 31.10.2016 की स्थिति में सहायक प्रबंधक /लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत पदों की संख्या एवं स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत अधिकारियों की संख्या।
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में अनुभाग अधिकारी के पद से सहायक प्रबंधक /लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी व समान पद पर पदोन्नत/नियुक्त हुए कर्मचारियों का वर्षवार निम्नलिखित जानकारी :–

वर्ष	सहायक प्रबंधक / लेखाधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी व समान पद पर पदोन्नत / नियुक्त हुए कर्मचारियों का नाम	पदोन्नत / नियुक्त हुए कर्मचारियों का श्रेणी–सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
2013		
2014		
2015		
2016		

किंतु बिंदु क्रमांक 01,02 व 04 की जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नही करायी गई है, जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। अतएव प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर उक्त बिन्दुओं की जानकारी / दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02 / अ.अ. / 01– / दिनांक 02.01.2017 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक **10.01.2017** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी–11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री हरिनारायण धिरही को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। उक्त श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें, फलस्वरूप प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

उपरोक्त परिस्थितिवश अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु समुचित (अंतिम) अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18.01.2017 को पुनः नियत की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी एंव प्रतिअपीलार्थी को पत्र क्रमांक 04 दिनांक 10.01.2017 के द्वारा दी गई। उक्त नियत तिथि को अपीलार्थी एंव प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए, तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 18.01.2017 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही.आर.मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर के आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण उनके स्थान पर श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं.) द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री हरिनारायण धिरही द्वारा वांछित 04 बिंदुओं की जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–तीन एवं पांच, छ.रा. वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 10004 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित प्रभाग प्रबंधक (मा.सं.)–तीन द्वारा कार्यालयीन यू.ओ.नोट क्रमांक 981 दिनांक 16.11.2016 के द्वारा कुल 01 छायापृष्ठ की जानकारी एवं प्रबंधक (मा.सं.)–पांच द्वारा कार्यालयीन यू.ओ.नोट क्रमांक 618 दिनांक 18.11.2016 के माध्यम से कुल 03 छायापृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। तत्पश्चात् धारा 7 की उपधारा 01 के तहत आवेदक श्री हरिनारायण धिरही को कुल 04 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु 2 / –रूपये प्रतिपृष्ठ की दर से कुल 08 / –रूपये मात्र का अभिलेख / दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10201 दिनांक 03.12.2016 के द्वारा सूचित किया गया। जिसके तारतम्य में आवेदक द्वारा अभिलेख शुल्क का भुगतान नगद के द्वारा किया गया। तद्पश्चात् आवेदक श्री हरिनारायण धिरही को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 10218 दिनांक 05.12.2016 के माध्यम से कुल 04 छायापृष्ठों की बिंदुवार जानकारी / वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई।

(अ) उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु क्रमांक 01 एंव 04 की जानकारी सृजन कर प्रदान किया जाना है, जिसके संबंध में लेख है कि **भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या 1/18/2011–आई–आर दिनांक 16.09.2011 में निर्दिष्ट तथ्यों के अनुसार मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा लोक प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन धारित हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना की व्याख्या करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की उम्मीद नही की जाती है।** अतएव उक्त दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण आवेदक को उपलब्ध नही करायी गयी है।

(ब) बिंदु क्रमांक 02 की जानकारी इस कार्यालय में संधारित नही की जाती है अतएव जानकारी/दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। साथ ही बिंदु क्रमांक 03 की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करायी जा चुकी है जिससे वह संतुष्ट है।

(5) उपरोक्त सुनवाई तिथि 18.01.2017 को अपीलार्थी श्री हरिनारायण धिरही एवं प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं) उपस्थित हुए। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(अ) उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन कर दोनों पक्षों के तर्क श्रवण किये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट वह कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

(ब) सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का यह तर्क कि होल्डिंग कंपनी द्वारा अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति एवं पेनल का कार्य केन्द्रीय स्तर पर किया जाता है। अतएव बिंदु क्रमांक 01 व 02 की जानकारी होल्डिंग कंपनी में संधारित की जाती होगी। जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी श्री पंकज सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि होल्डिंग कंपनी के (मानव संसाधन) कार्यालय द्वारा यद्यपि अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति एवं पेनल का कार्य किया जाता है। किंतु परिपत्र क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/1194/1376 दिनांक 31.07.2009 के अनुसार कर्मचारी के सेवा अभिलेख में दर्ज जाति के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए पदोन्नति दी जाती है, एवं कर्मचारियों की सेवा अभिलेख संबंधित नियंत्रणकर्ता कार्यालय में जहां कर्मचारी कार्यरत है, वहां उपलब्ध होती है न कि विद्युत होल्डिंग कंपनी के कार्यालय में। नियंत्रणकर्ता कार्यालय द्वारा छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ–13–4/2006/1–3 दिनांक 26.09.2007 के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सफल उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश अनंतिम (Provisional) रूप से जारी करने के पश्चात् आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सूची उच्च स्तरीय छानबीन समिति को जांच हेतु नियमानुसार प्रेषित किया जाना है एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति की जांच में यदि आरक्षित वर्ग के किसी सफल उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र गलत होना पाया जाता है तो, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध शीघ्र अपराधिक प्रकरण दर्ज करने और उसे तत्काल सेवा से पृथक करने संबंधी उचित कार्यवाही संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के द्वारा किया जाना है। अतः अपीलार्थी उपरोक्त जानकारी संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

(स) इसी अनुक्रम में अपीलार्थी द्वारा बिंदु क्रमांक 04 की जानकारी प्रारूप में न देकर जिस रूप में कार्यालय में उपलब्ध है प्रदान करने बाबत् अनुरोध किया गया। जिसके तारतम्य में संबंधित प्रभाग की ओर से उपस्थित श्रीमति मल्लिका बेक, प्रबंधक (मां.सं.)–पांच द्वारा अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के दौरान अनुभाग अधिकारी के पद से सहायक प्रबंधक

/लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी व समान पद पर पदोन्नत/नियुक्त हुए कर्मचारियों की आदेश की प्रतियाँ अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा सकती है, जिससे अपीलार्थी संतुष्ट हुए।

इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी श्री धिरही को वांछित बिन्दु क्रमांक 01 एंव 04 की जानकारी जो अधिनियम में निहित प्रावधानों के विपरीत है, जिसे उपलब्ध नही करायी गई है, जो नियम अनुरूप सही है। जहॉ तक बिन्दु क्रमांक 02 का प्रश्न है उक्त जानकारी इस कार्यालय में संधारित नही की जाती है, अतएव उपलब्ध कराया जाना संभव नही है, एवं बिन्दु क्रमांक 03 की जानकारी जो अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है जिससे उनके द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई है।

उक्त प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करायी गई है जो उचित परिलक्षित होता है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उनके आवेदन में वांछित बिंदु क्रमांक 01, 02 एवं 04 की जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करायी गई है, जो निराधार है। क्योकि बिन्दु क्रमांक 01 एंव 04 की जानकारी सृजन कर प्रदान किया जाना है जो नियम के अनुरूप सही नही है, एंव बिन्दु क्रमांक 02 की जानकारी कार्यालय के संधारण में नही है। अतएव प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रकरण में पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायसंगत कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई बिंदु क्रमांक 01, 02 की जानकारी/दस्तावेज प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा संबंधित प्रभाग से प्राप्त करने का प्रयास किया गया किन्तु जानकारी कार्यालय में अनुपलब्ध एंव अधिनियम के अंतर्गत ग्राहय नही होने के कारण अपीलार्थी को प्रदान नही की गई तथा बिंदु क्रमांक 04 की जानकारी अपीलार्थी के निवेदन पर उन्हें उपलब्ध करायी जा सकती है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा उक्त प्रकरण के पैरा क्रमांक 04 के कंडिका (अ) (ब) के अंतर्गत की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलार्थी बिंदु क्रमांक 01 व 02 की जानकारी हेतु संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं एवं बिंदु क्रमांक 04 की जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उनके निवेदन पर जानकारी/दस्तावेज सृजन न कर कार्यालय में जिस रूप में उपलब्ध है, उन्हे प्रदान की जा सकती है।

जहाँ तक अपील का प्रश्न है सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को वांछित बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 की जानकारी के संदर्भ में पैरा क्रमांक 05 (ब) में उल्लेखित तथ्यों से अवगत कराया गया जिससे वह संतुष्ट हुए एवं बिंदु क्रमांक 04 की जानकारी के संदर्भ में उपरोक्त पैरा की कंडिका (स) में निहित तथ्यों के अनुसार जानकारी/दस्तावेज सृजन न कर कार्यालय में जिस रूप में उपलब्ध है अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निदेर्शित किया जाता है कि वे उक्त जानकारी संबंधित प्रभाग से प्राप्त कर अपीलार्थी को 07 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावें।

उपरोक्तानुसार अपील प्रकरण क्रमांक 18/2016 दिनांक 16.12.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02 / अपील प्रकरण –18 / 2016 / 08 रायपुर, दिनांक 18/01/2017

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–पांच छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रबंधक (मा.सं.)–तीन छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री हरिनारायण धिरही, अनुभाग अधिकारी, कार्या0–कार्यपालक निदेशक (वित्त), छ.रा.वि.उत्पा.कं. मर्या., रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्रीमती भारती पेंढारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040